



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई/समन्वय/सत्या/कक्षा X/सप्लमेन्ट्री/2023

दिनांक: 04.08.2023

सूचना

(सप्लमेन्ट्री परीक्षा -2023, कक्षा X)

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक सुस्थापित नीति के तहत किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्यांकन त्रुटिमुक्त है, सीबीएसई कई कदम उठा रहा है। इन कदमों/चरणों का सख्ती से पालन करने के बाद, परिणाम तैयार किया जाता है। हालांकि, सीबीएसई के पास आकलन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, तथापि, यदि छात्र अपने मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें अंकों के सत्यापन का अवसर प्रदान किया जाता है, और उनकी मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने और उनके उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों से अनुरोध है कि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए आवेदन करने से पहले इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

तदनुसार, निम्न प्रक्रियाओं के लिए सेकेंडरी स्कूल परीक्षा (कक्षा X), सप्लमेन्ट्री परीक्षा 2023 के लिए कार्यरितियां और अनुसूची नीचे दी गई हैं

- (1) अंकों का सत्यापन
- (2) मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की (स्कैन की गई) छायाप्रति प्राप्त करना
- (3) उत्तरों का पुनः मूल्यांकन

सेकेंडरी स्कूल परीक्षा (कक्षा X), सप्लमेन्ट्री परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए अंकों के सत्यापन, मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी (स्कैन की हुई प्रति) प्राप्त करने और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए विस्तृत कार्य-रीतियाँ नीचे दी गई हैं:

1. सभी प्रक्रियाओं के लिए निवेदन केवल ऑनलाइन और निर्दिष्ट अनुसूची/समय-सारणी के दौरान प्रसंस्करण शुल्क के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि और समय के बाद और ऑफलाइन मोड में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. प्रसंस्करण शुल्क केवल ऑनलाइन (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग) जमा किया जा सकता है। प्रसंस्करण शुल्क पोस्टल ऑर्डर/डीडी/मनी ऑर्डर/चेक/नकद आदि के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. अधूरे/ऑफलाइन आवेदनों को अभ्यर्थी के साथ बिना किसी पत्राचार के सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
4. ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रति अभ्यर्थी प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार को पहले से तय करना होगा कि उसे एक विषय में आवेदन करना है या कई विषयों में।
5. नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए, अंकों में परिशोधन के कारण या प्रक्रिया में देरी से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
6. एक अंक की कमी भी लागू होगी।
7. ऐसे मामलों में जहां अंकों में परिवर्तन (दोनों वृद्धि या कमी) होता है, ऐसे अभ्यर्थियों को मार्कशीट सह प्रमाण-पत्र जो उनके पास है, को जमा करना होगा। इसके बाद, उन्हें एक नया मार्कशीट सह प्रमाण-पत्र जारी

किया जाएगा।

8. प्रसंस्करण शुल्क अप्रतिदेय हैं।

(I) अंकों का सत्यापन

क) अनुसूची संलग्नक -I में दी गई है। प्रसंस्करण शुल्क प्रति विषय रु. 500/- है।

ख) अंकों के सत्यापन का परिणाम निम्नलिखित तरीके से अभ्यर्थी के उसी लॉगिन खाते में सूचित किया जाएगा जहां से उसने सत्यापन के लिए आवेदन किया है:



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in

- (i) अंकों के सत्यापन का परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर अभ्यर्थी के लॉगिन खाते में अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में कोई व्यक्तिगत संचार नहीं भेजा जाएगा।
- (ii) अंकों में बदलाव के मामले में, प्रथम संचार किया जाएगा/होस्ट किया जाएगा कि अंकों में बदलाव (अंकों में वृद्धि/कमी) हुआ है।
- (iii) इसके बाद, एक बार परिणाम की पुनर्गणना होने के बाद, अंकों की वास्तविक वृद्धि या वास्तविक कमी भी दी जाएगी/होस्ट की जाएगी।
- (iii) सत्यापन अनुरोध की स्थिति के लिए आवेदकों को सीबीएसई की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

ग) केवल वे अभ्यर्थी जो अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वे उस/उन विषयों में उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(II) मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन

क) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऊपर निर्धारित तरीके से अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

ख) कक्षा-X के लिए प्रसंस्करण शुल्क प्रति विषय 500/- रुपये होगा। अनुसूची संलग्नक-I में दी गई है।

ग) अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और जमा किया गया शुल्क बिना किसी आगे संदर्भ के जब्त कर लिया जाएगा।

घ) परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य अधिकारी आदि की पहचान से संबंधित सभी सूचनाओं को अवरुद्ध करने के बाद मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कि गई प्रति अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

ङ) यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए दिए गए अंकों को चुनौती देना चाहता है, तो अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए उसे (अनुसूची के अनुसार) ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(III) मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन

क) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन किया है, वे पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने या किसी/ किन्हीं प्रश्नों में दिए गए अंकों को चुनौती देने लिए पात्र होंगे।

ख) पुनः मूल्यांकन/चुनौती हेतु निवेदन केवल थ्योरी हिस्से के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए पर स्वीकार किए जाएंगे।

ग) आवेदक को संबंधित विषय में अंक योजना का संदर्भ लेना होगा जो प्रश्न पत्र सहित वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उसके बाद अभ्यर्थी तर्क सहित अपेक्षित प्रश्नों में पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करा सकते हैं।

घ) पुनः मूल्यांकन की स्थिति वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी और इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा औपचारिक सम्प्रेषण किया जाएगा।

ङ) एक अंक की कमी भी लागू होगी।

च) पुनः मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा और पुनः मूल्यांकन के विरुद्ध कोई अपील या समीक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त सभी तीनों गतिविधियों अर्थात् I, II और III के मामले में प्रदान किए गए अंकों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना के अधिकार-अधिनियम-2005 के तहत उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान की जाएगी। तथापि, सत्यापन और/या पुनः मूल्यांकन का निवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है और स्वीकार्य नहीं होगा।

हस्ता/-

(डॉ संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

प्रति: वेब प्रबंधक को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

(कक्षा-X) सप्लमेन्ट्री परीक्षा 2023 हेतु अंकों के सत्यापन, मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने और पुनः मूल्यांकन के लिए अनुसूची			
क्रमांक	गतिविधि	अवधि	शुल्क
01	अंकों का सत्यापन		
	ऑनलाइन आवेदन करना	07.08.2023 (सोमवार) से 08.08.2023 (मंगलवार) मध्यरात्रि 11.59.59 बजे तक	500 रुपए प्रति विषय
02	मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करना		
	ऑनलाइन आवेदन करना	12.08.2023 (शनिवार) से 12.08.2023 (शनिवार) मध्यरात्रि 11.59.59 बजे तक	500 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका
03	पुनः मूल्यांकन		
	ऑनलाइन आवेदन करना	16.08.2023 (सोमवार) से 16.08.2023 (सोमवार) मध्यरात्रि 11.59.59 बजे तक	100 रुपए प्रति प्रश्न

नोट:- ऑनलाइन प्रक्रिया अवकाश दिनों में भी की जा सकती है।